उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या–1359(1)/नौ–8–18–89ज./2017
लखनऊः दिनांक 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–691/2009 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया बनाम पीपुल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 09.03.2016 के अनुपालन के क्रम में शासन के आदेश संख्या–2355/नौ–8–17–89ज/2017, दिनांक 29.06.2017 द्वारा गठित समिति को अबक्रमित करते हुए एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) रूल्स, 2001 के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या–वृद्धि के प्रबन्धन, रेबीज उन्मूलन एवं मानव–कुत्तों के संघर्ष आदि में कमी लाने के दृष्टिगत एक राज्य स्तरीय निगरानी एवं कियान्वयन समिति का निम्नवत् गठन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1.	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
2.	निदेशक, पशुपालन विभाग, उ.प्र., लखनऊ	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
5.	निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ	सदस्य/सचिव
6.	एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली/लखनऊ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सीतापुर, जनपद–सीतापुर, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद–पुवायाँ, जनपद–शाहजहांपुर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सहजनवा, जनपद–गोरखपुर एवं नगर पंचायत–खुदागंज, जनपद–शाहजहांपुर।	सदस्य
9.	ए.डब्ल्यू.बी.आई. मे पंजीकृत कोई एनीमल वेलफेयर संगठन का प्रतिनिधि जो प्रतिवर्ष 5000 एनिमल बर्थ कन्ट्रोल सर्जरी करता हो एवं तीन साल से अस्तित्व में हो	सदस्य
10.	सुश्री गौरी मौलेखी, सदस्य सचिव, पीपुल्स फार एनिमल	सदस्य
11.	पशुपालन विभाग द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रोग्राम मैनेजर जो उपनिदेशक स्तर से निम्न न हो	सदस्य

2. राज्य निगरानी एवं कियान्वयन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

i. एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (डाग्स) रूल्स, 2001 की अपेक्षानुसार स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर एनिमल बर्थ कन्ट्रोल निगरानी समिति का गठन करेगी। (इस परिप्रेक्ष्य मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्टेप– III द्रष्टव्य है।)

ii. पूरे राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डाग पापुलेशन मैनेजमेन्ट हेतु एक व्यापक जिला स्तरीय योजना का विकास कराना।

iii. एनिमल बर्थ कन्ट्रोल को लागू करने वाली एजेन्सियों की ABC श्रेणीवार सूची बनाना जो स्थानीय प्राधिकरण/जनपद स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें, अपेक्षित प्रशिक्षण एवं अभ्यास करा सके तथा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया से विधिवत मान्यता प्राप्त हो। इसमें राज्य का पशुपालन विभाग भी ए0डब्ल्यू0बी0आई0 के तकनीकी निर्देशन में सम्मिलित हो सकता है या ए0डब्ल्यू0बी0आई0 में पंजीकृत एनिमल वेलफेयर संगठन भी कार्य कर सकता है।

iv. जहां पर पर्याप्त ABC कार्यान्वयन एजेन्सियाँ उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर राज्य निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति, में एक स्पेशल पर्पज व्हीकिल (SPV- Speacial Purpose Vehicle) का प्रबन्ध करायेगी, जो ABC कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

V. ABC के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना एवं अन्य पूंजी लागत (जो केवल ABC सुविधाओ, एम्बुलेन्सों एवं उपकरणों तक ही सीमित न हो) तथा ABC योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अन्य सभी व्ययों को, जिसमें मानव शक्ति लागत, जो स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ABC क्रियान्वयन एजेन्सियों को उपलब्ध कराये जाएं, को सुनिश्चित करेगी।

3. राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक तीन माह में एक बार एवं इसकी प्रकियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जब भी आवश्यकता हो, आहूत की जाएगी।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त सदस्यगण, राज्य स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति।
3. गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।